


फर्द अहकाम

बद्री दास बनाम किशनदास वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
 प्रकरण संख्या .....18...../2025 प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सहपठित धारा 151 सीपीसी  
 जीसीएमएस संख्या: 2025/

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.05.2025	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सीपीसी का जरिये वकील श्री अशोक सैनी व उपवन सैनी के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर दिनांक 09.06.2025 को पेश हों।	विशेष विवरण
09.6.25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...02.7.25 को पेश हो।	
02.7.25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...18.7.25 को पेश हो।	
14/07/25	प्रभा. शाज बलवाडका. I. के विद्दे/धारिज का आर्केना फ प्रे डोने पर तलब डीगपी प्रणी एवं आर्की मरु के सोरेटिक पर दस्तावेज वर आर्केना पर धारिज वलेधे कियेस किपा वध पर मरु किपा/धारा अन्वलेकेन किपागण आर्केना पर धारा डी तर्त पर विद्दे कर धारिज किपा जर्त है। फावली फेंतल टुमार होना सिग ध कर हो गडु सापिल सखर डे	 अ.सी. बद्रीदास उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)